समाहरणालय,मधेपुरा।
(सामान्य शाखा)
आदेश

सरकार के प्रधान सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 13 दिनांक- 21/01/2016 से वित्तीय बर्ष 2015- 16 में गैर योजना के मांग संख्याँ-22, मुख्य शीर्ष- 2055-पुलिस,उप मुख्य शीर्ष-00,लधु शीर्ष-110-ग्राम पुलिस,उप शीर्ष- 0001-के बिषय शीर्ष 05 01- पुरस्कार मद में मधेपुरा जिला हेतु प्राप्त आवंटन- मो0-2,800/-(दो हजार आठ सौ) रू0 को निम्नप्रकार अंचल अधिकारियों को अंचलवार उपावंटित किया जाता है।

कमांक	अंचल का नाम	पुरस्कार मद में उपावंटित राशि
1	मधेपुरा	300
2	धैलाढ़	200
3	गम्हरिया	200
4	सिंहेश्वर	200
5	शंकरपुर	200
6	कुमारखंड	300
7	मुरलीगंज	200
8	उदाकिशुनगंज	200
9	ग्वालपाड़ा	200
10	बिहारीगंज	200
11	पुरैनी	200
12	चौसा	200
13	आलमनगर	200
	कुल-	**2800**

<u>उपावंटन की शर्त्ते-</u>

(1) यह राशि गैर योजना मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस-उप मुख्य शीर्ष-00-लधु शीर्ष-110-ग्राम पुलिस-उप शीर्ष-0001-चौकीदार - दफादार स्थापना अंतर्गत वेतनादि भुगतान हेतु विभिन्न शीर्षो एवं (विपत्र कोड-एन 2055001100001,मांग संख्याँ-22) के अंतर्गत विकलनीय होगा।

(2) उपर्युक्त राशि से बकाये वेतनादि का भुगतान किया जा सकता है। यदि चौकीदार-दफादार के बकाये बेतनादि से सम्बंधित माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश हो तो उक्त राशि का भुगतान इस उपावंटित राशि से किया जाय और तत्पश्चात् अतिरिक्त राशि की मांग की जाय।

(3) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्याँ- 2561 दिनांक-17/04/1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।वित्त विभाग के परिपत्र संख्याँ-5294 दिनांक-17/06/2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजनान्तर्गत सभी व्यय के लिए विभागीय पत्रांक-2561 दिनांक-17/04/1998 की कंडिका-दो में प्रावधानित बंधेज को पूर्णरूपेण शिथिल किया गया है। इसके फलस्वरुप आवंटित राशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

(20)

(4) किसी भी परिस्थिति में उपावंटित राशि का विचलन कर किसी अन्य मद में खर्च नहीं किया जाएगा अन्यथा इसकी सारी जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(5) उपावंटित राशि का प्रत्यार्पण प्रतिवेदन दिनांक-25 मार्च,2016 तक बिना चूक के उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(6) उपर्युक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित प्रपत्र पर की जाय, विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को सलंग्न किया जाय तथा कार्यालय में निकासी एवं व्यय पंजी का संधारण किया जाय।

(7) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जानेवाले प्रमाण पत्र का उल्लेख अवश्य किया जाय।

(8) डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र तीन माह के अंदर समर्पित किया जाय।

(9) कार्यालय में निकासी एवं व्यय पंजी का संधारण किया जाय।

इसकी सूचना सम्बंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक- 386 /सा0,मधेपुरा दिनांक- 24 फरवरी,2016

प्रतिलिपि- सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को (आवंटन पत्र की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज/ कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा(आवंटन पत्र की छायाप्रति सलंग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,मधेपुरा को सूचनार्थ। अनुरोध है कि इसे जिला के वेवसाईट पर अपलोड कर दिया जाय एवं सभी सम्बंधितों को ईमेल कर दी जाय।

प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-सरकार के प्रधान सचिव, गृह(आरक्षी) विभाग, बिहार पटना/आयुक्त,कोशी प्रमंडल,सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।